बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

: : अ धि सू च ना : :

पटना, दिनांक–**07.11.2026**

संख्या–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)01–01 / 2026–**1278** / बिहार राज्यपाल का दिनांक–**06.11.2026** का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

"भारत के संविधान के अनुच्छेद् 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ले ज सय्यद अता हसनैन, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक 30 नवम्बर, 2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

ले ज सय्यद अता हसनैन,
राज्यपाल, बिहार।"

दिनांक–06.11.2026

ह0 / –
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं0–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)01–01 / 2026–**1278** / पटना, दिनांक–**07.11.2026**

प्रतिलिपि–प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना / माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / माननीय उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग, बिहार, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / गृह मंत्रालय, पॉल–1(ए) (शाखा), भारत सरकार, नई दिल्ली / अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ) / आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

07/11/2026.

कार्यक्रम की प्रति संलग्न है।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

: : **अ धि सू च ना** : :

संख्या–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)01–01 / 2026–**1279** / पटना, दिनांक–**07.11.2026**

अधिसूचना संख्या–**1278** दिनांक–**07.11.2026** का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा –

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
Department of Parliamentary Affairs

: : **NOTIFICATION** : :

Patna, Dated-**07.11.2026**

No- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-**1278**/ The Following order of the Governor of Bihar dated the **06.11.2026** is hereby published for general information -

"In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Assembly to meet at 11:00 A.M. on the 30th November, 2026 in the Assembly Chamber, Patna.

Lt Gen Syed Ata Hasnain,
Governor of Bihar."

Dated-06.11.2026

sd/-
(Rajesh Kumar)
Additional Secy. to Govt.

Memo No-P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-**1279**/ Patna, dated-**07.11.2026**

Copy forwarded for information to Secretary in charge, Bihar Legislative Assembly, Patna/ Secretary, Bihar Legislative Council, Patna/ Additional Chief Secretary to Hon'ble Governor, Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Dy. Chief Minister, Parliamentary Affairs Department, Bihar, Patna/ All Department of Government, Bihar, Patna/ Advocate General, Bihar, Patna/ Director, Information and Public Relation Department, Bihar, Patna/ Ministry of Home Affairs, Government of India, (Pol. 1(a)Sec.) New Delhi/ Supdt., Secretariat Press Gulzarbagh, Patna for publication in the extra ordinary Gazette./ I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department, Patna for publication on departmental Website.

07/11/2026.

Additional Secy. to Govt.

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

: : अ धि सू च ना : :

पटना, दिनांक–**07.11.2026**

संख्या–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)01–01 / 2026–**1280** / बिहार राज्यपाल का दिनांक–**06.11.2026** का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

"भारत के संविधान के अनुच्छेद् 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ले ज सय्यद अता हसनैन, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान परिषद् को दिनांक 30 नवम्बर, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान परिषद् वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

ले ज सय्यद अता हसनैन,
राज्यपाल, बिहार।"

दिनांक–06.11.2026

ह0 / –
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं0–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)01–01 / 2026–1280 / पटना, दिनांक–**07.11.2026**

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना /प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / माननीय उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग, बिहार, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / गृह मंत्रालय, पॉल–1(ए) (शाखा), भारत सरकार, नई दिल्ली / अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ) / आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यक्रम की प्रति संलग्न है।

07/11/2026.

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

: : अ धि सू च ना : :

संख्या–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)–01–01 / 2026–**1281** / पटना, दिनांक–**07.11.2026**

अधिसूचना संख्या–**1280** दिनांक–**07.11.2026** का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा –

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
Department of Parliamentary Affairs

: : NOTIFICATION : :

Patna, dated-**07.11.2026**

No- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-**1280**/ The Following order of the Governor of Bihar dated the **06-11-2026** is hereby published for general information -

"In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Council to meet at 11.00 AM on the 30th November, 2026 in the Council Chamber, Patna.

Lt Gen Syed Ata Hasnain,
Governor of Bihar."

Dated-06.11.2026

sd/-
(Rajesh Kumar)
Additional Secy. to Govt.

Memo No-P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-**1281**/ Patna, dated-**07.11.2026**

Copy forwarded for information to Secretary, Bihar Legislative Council, Patna/ Secretary in charge, Bihar Legislative Assembly, Patna/ Additional Chief Secretary to Hon'ble Governor, Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Dy. Chief Minister, Parliamentary Affairs Department, Bihar, Patna/ All Department of Government, Bihar, Patna/ Advocate General, Bihar, Patna/ Director, Information and Public Relation Department, Bihar, Patna/ Ministry of Home Affairs, Government of India, (Pol. 1(a)Sec.) New Delhi/ Supdt., Secretariat Press Gulzarbagh, Patna for publication in the extra ordinary Gazette./ I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department, Patna for publication on departmental Website.

07/11/2026.

Additional Secy. to Govt.

भारत के संविधान के अधीन गठित अष्टादश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

नवम्बर, 2026–दिसम्बर, 2026

सोमवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2026	1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)। 2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)। 3. वित्तीय वर्ष 2026–2027 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन। 4. शोक प्रकाश (यदि हो)।
मंगलवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 बुधवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2026	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।
वृहस्पतिवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2026	वित्तीय वर्ष 2026–2027 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद–विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।
शुक्रवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2026	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

* * * * *

बिहार विधान परिषद् के 214वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

नवम्बर, 2026–दिसम्बर, 2026

सोमवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2026	1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)। 2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)। 3. वित्तीय वर्ष 2026–2027 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन। 4. शोक प्रकाश (यदि हो)।
मंगलवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2026	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)
बुधवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2026 वृहस्पतिवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2026	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।
शुक्रवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2026	वित्तीय वर्ष 2026–2027 की द्वितीय अनुपूरक व्यय–विवरणी पर सामान्य वाद–विवाद एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।

* * * * *